बिहार अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण

कार्यालयः वाणिज्य–कर विभाग, भूतल तल,
विकास भवन, बेली रोड, पटना–800001

अग्रिम विनिर्णय संख्या—AR(B)- 01/2017-18

उपस्थित–

1. **श्री संजय कुमार मावंडिया,**
   अपर आयुक्त,
   वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना। ..... सदस्य (राज्य कर)

2. **श्री टी०जी० राठोड,**
   संयुक्त आयुक्त,
   केन्द्रीय माल और सेवा कर, पटना। .....सदस्य (केन्द्रीय कर)

1.	आवेदक का नाम एवं पता	मेसर्स अल–खैर को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाईटी लिमिटेड, हारून नगर, सेक्टर–2, फुलवारी शरीफ, पटना–801505
2.	GSTIN	10AAAAA8409L1Z1
3.	आवेदन करने की तिथि	14-03-2018
4.	प्रतिनिधित्व	श्री एस० एस० कादरी (Chartered Accountant) एवं श्रीमती विभा वर्मा, अधिवक्ता
5.	क्षेत्राधिकार प्राधिकार–केन्द्र	पटना।
6.	क्षेत्राधिकार प्राधिकार– राज्य	पटना दक्षिणी अंचल।
7.	फीस का भुगतान	CGST Rs. 5000, SGST Rs. 5000, Total- Rs. 10,000 CIN: HDFC 18031000003944 dt.- 05.03.18

केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 तथा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 98 की उप–धारा (4) के अधीन आदेश

मेसर्स अल–खैर को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाईटी लिमिटेड, GSTIN- 10AAAAA8409L1Z1, हारून नगर, सेक्टर–2, फुलवारी शरीफ, पटना–801505 के द्वारा दिनांक–14.03.2018 को केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 तथा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 97 के अन्तर्गत अग्रिम विनिर्णय हेतु प्रपत्र AR-01 में आवेदन दाखिल किया गया है। उक्त कार्यार्थ इनके द्वारा CGST मद में रु० 5000 एवं SGST मद में रु० 5000 कुल रुपये 10,000 का चालान संख्या CIN-HDFC 18031000003944 दाखिल किया गया है।

16/08/18

2. आवेदक एक को–ऑपरेटिव सोसाईटी है जो "बहुराज्य को–ऑपरेटिव सोसाईटी अधिनियम, 1984" की धारा 7 के अधीन निबंधित है। इनका निबंधन संख्या MSCS/CR/136/2002 है। आवेदक सोसाईटी माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन भी निबंधित हैं। इनके द्वारा अग्रिम विनिर्णय के लिए दिए गए आवेदन में यह प्रश्न उठाया गया है कि–

"Whether consideration represented by way of Borrowing Cost received from members to whom loan was sanctioned, amounts to Taxable supply."

3. उपरोक्त अग्रिम विनिर्णय हेतु दाखिल आवेदन के आलोक में सुनवाई की तिथि 15.05.2018 निर्धारित करते हुए आवेदक को सूचना निर्गत की गई, किन्तु केन्द्रीय कर के नामित सदस्य द्वारा इस्तीफा दिये जाने के कारण दिनांक 03.05.2018 से दिनांक 15.07.2018 तक प्राधिकरण कार्यरत नहीं था। दिनांक 16.07.2018 को बिहार अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण में केन्द्रीय कर के सदस्य की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना निर्गत हुई। फलस्वरुप दिनांक 30.07.2018 निर्धारित करते हुए आवेदक को सूचना निर्गत की गई।

4. निर्गत सूचना के आलोक में आवेदक की ओर से श्री एस० एस० कादरी (Chartered Accountant) एवं श्रीमती विभा वर्मा, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि आवेदनकर्ता एक क्रेडिट को–ऑपरेटिव सोसाईटी है और इनकी शाखाएँ देश के कई राज्यों यथा: बिहार, झारखण्ड, उत्तरप्रदेश एवं दिल्ली में अवस्थित है। सोसाईटी अपने सदस्यों से "जमा" के रूप में पैसे प्राप्त करती है एवं इस प्रकार उनके लघु बचत को सुरक्षित रखने का कार्य करती है किन्तु प्राप्त जमा राशि के विरुद्ध जमाकर्ता को कोई वित्तीय लाभ प्रदान नहीं किया जाता है। साथ ही, सोसाईटी द्वारा अपने सदस्यों को लघु ऋण उपलब्ध कराया जाता है एवं प्रदान की गयी सेवा के विरुद्ध Borrowing cost के रूप में सर्विस चार्ज की वसूली की जाती है।

5. उपस्थित व्यक्ति द्वारा स्पष्ट किया गया कि सोसाईटी का मुख्य कार्य जमा प्राप्त करना एवं अपने सदस्यों को ऋण मुहैया कराना है। चूँकि ऋण प्रदानकर्ता एक वित्तीय गतिविधि है, फलतः जिस प्रकार बैंक ब्याज चार्ज करते हैं, उसी प्रकार सोसाईटी द्वारा भी ऋण प्रदान करने के एवज में Operational cost के रुप में, कार्यालय को चलाने के लिए, सर्विस चार्ज की वसूली की जाती है। आवेदनकर्ता के प्रतिनिधि ने यह भी बताया कि प्रसंगाधीन सोसाईटी कोई मुनाफे वाला बिजनेस नहीं करती बल्कि अपने सदस्यों के कल्याण एवं उत्थान तथा रिस्क मैनेजमेंट के लिए Borrowing cost अर्थात सर्विस चार्ज की वसूली करती है।

6. उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा पुनः स्पष्ट किया गया कि माल और सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 12/2017–कर (दर) के क्रमांक 27 के अनुसार ब्याज के बदले ऋण प्रदान की जानेवाली सेवाओं को कर से विमुक्ति प्रदान की गयी है। उपस्थित व्यक्ति द्वारा कहा गया कि मूलतः ब्याज में Cost of Fund, Operational Cost एवं Profit शामिल होते हैं। आवेदक सोसाईटी

द्वारा भी ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है और इसके एवज में मात्र Operational Cost प्राप्त किया जाता है जो एक तरह से ब्याज का ही प्रतिरूप है। सोसाईटी द्वारा इसे ब्याज शब्दावली नहीं कहा जाता, बल्कि इसे सर्विस चार्ज (Borrowing cost) का नामकरण दिया गया है। फलतः जिस प्रकार ब्याज के प्रतिफल के आधार पर प्रदान की जानेवाली ऋण की सेवा जीएसटी से मुक्त है, उसी तरह सोसाईटी द्वारा सर्विस चार्ज (Borrowing cost) के आधार पर प्रदान की जानेवाली ऋण संबंधी सेवा को भी जीएसटी प्रणाली में कर–मुक्त आपूर्ति मानते हुए अग्रिम विनिर्णय देने का आग्रह किया गया है।

7. उपस्थित व्यक्ति द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के आलोक में सोसाईटी के Bye Laws की माँग की गयी। Bye Laws में सोसाईटी के उद्देश्यों के अन्तर्गत कंडिका 6 में वर्णित है कि– To give loans and advances to members and levy service charges thereon subject to the mode and period of repayments, method of computation of the service charges, nature and type of security and other rules and regulations framed for the purpose by the Board of Directors of the Society. No interest, as such, shall be levied on such loans and advances to members. इस प्रकार आवेदनकर्ता सोसाईटी के द्वारा प्रस्तुत Bye Laws के अनुसार सोसाईटी अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करने की सेवा के विरुद्ध ब्याज की वसूली नहीं कर सकती। Bye Laws में ऋण संबंधी सेवाओं के फलस्वरुप अपने सदस्यों से सर्विस चार्ज की वसूली के प्रावधान हैं।

8. प्रसंगाधीन मामले में आवेदक द्वारा उठाए गए प्रश्न का केन्द्र बिन्दु "ऋण लागत" (Borrowing cost) है। मूलतः ऋण प्राप्त करने के क्रम में ब्याज के साथ–साथ व्यय किये गए अन्य खर्च यथा: प्रोसेसिंग खर्च, दस्तावेज खर्च, सेवा चार्ज एवं अन्य फीस या लागत आदि को "ऋण लागत" (Borrowing cost) कहा जाता है।

Business Dictionary के अनुसार "Borrowing cost" को निम्नवत परिभाषित किया गया है– "The total charge for taking on a debt obligation that can involve interest payments and other financing fees. "

9. प्रसंगाधीन मामले में आवेदनकर्ता के प्रश्न पर विचार करने के पूर्व केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 एवं बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या 12/2017–कर (दर) जिसके माध्यम से सेवाओं की राज्यान्तर्गत आपूर्ति को जीएसटी से छूट प्रदान किया गया है, के क्रमांक 27 का अवलोकन समीचीन है–

"Sl. No. 27- Heading 9971- Services by way of

(i) extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount (other than interest involved in credit card services);

(ii) *inter se* sale or purchase of foreign currency amongst banks or authorised dealers of foreign exchange or amongst banks and such dealers.

10. उपर्युक्त अधिसूचना के अन्तर्गत ही परिभाषाएँ भी दी गयी हैं जिसके क्रमांक (ZK) में ब्याज की परिभाषा वर्णित है, जो निम्न प्रकार है–

"(ZK)- "interest" means interest payable in any manner in respect of any moneys borrowed or debt incurred (including a deposit, claim or other similar right or obligation) but does not include any service fee or other charge in respect of moneys borrowed or debt incurred or in respect of any credit facility which has not been utilised."

11. उपर्युक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि कर–मुक्त सेवाओं के अनुसूची की "प्रविष्टि 27" के अनुसार ऐसे ऋण अथवा लोन जो ब्याज या डिस्काउन्ट के विरूद्ध प्रदान किए जाते हैं, को जीएसटी की देयता से विमुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त अधिसूचना में ब्याज की परिभाषा भी दी गयी है जिसमें सर्विस फीस या अन्य प्रभार को ब्याज से बाहर रखा गया है। अर्थात ब्याज के विरुद्ध प्रदान किये गये ऋण संबंधी सेवाओं को तो कर से विमुक्ति दी गयी है, किन्तु अन्य प्रकार के खर्च अथवा सर्विस फीस के आधार पर प्रदान की गयी ऋण संबंधी सेवाओं को जीएसटी के अधीन कर मुक्त नहीं किया गया है।

12. प्रसंगाधीन मामले में आवेदनकर्ता सोसाईटी द्वारा सर्विस चार्ज के विरुद्ध अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करने संबंधी सेवाएँ दी जाती है जो विभागीय अधिसूचना संख्या 12/2017–कर (दर) के क्रमांक 27 में वर्णित प्रविष्टि से आच्छादित नहीं होती। ऐसी स्थिति में ऐसी सेवाओं की आपूर्ति पर विधिनुसार माल और सेवा कर की देयता बनती है।

अग्रिम निर्णयः– सर्विस चार्ज या अन्य प्रभार के प्रतिफल में ऋण या अग्रिम प्रदान करने संबंधी सेवाएँ अधिसूचना संख्या 12/2017–कर (दर) के क्रमांक 27 में वर्णित प्रविष्टि से आच्छादित नहीं हैं। फलतः ऐसी सेवाओं की आपूर्ति पर विधिनुसार माल और सेवा कर की देयता बनती है।

(टी०जी० राठोड)
सदस्य,
बिहार अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण,
पटना।

(संजय कुमार मावंडिया)
सदस्य,
बिहार अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण,
पटना।